




फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)मुकाम.....भादरा.....
मोहित आदि.....बनाम्..... बिहारीलाल आदि
 किस्म मुकदमा.....212 आर.टी.ए.न०83/18 सन्..... 2018.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
02.11.2018	<p>आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 05.12.2018 तक जारी की जाती है कि रोही मौजा घोटडा पट्टा के खाता सं० 48/48 के खसरा सं० 91 की 7.284 है० वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें। कृषि बैंक ऋण की छुट रहेगी। यह आदेश बैंक राको एक्ट प्रकरण, वाफ्कोस कार्य DILRMP पर लागू/प्रभावी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.12.2018 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">  पत्रावली पेश हुई पीठालीन अधिकारी <u>पत्रावली</u> में पत्रावली दिनांक 24.11.18 को पेश हो। -Sant </p> <p> पत्रावली पेश हुई पीठालीन अधिकारी ने पत्रावली पर Not present. अफिर कट उजरा को भाग नये चलाना यह है अतः इरजाएत कल्लाई गिरे पत्रावली Not present के तामील की जारी है पत्रावली गलत है कट कल्लाई कल्लाई कल्लाई </p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा </p>	<p>Not present</p> <p style="text-align: center;">  </p>

5/12/18

24/19